


राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7 झालान्ध संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 19(1)()मअ/स्था/2002/ 44886
आदेश

जयपुर, दिनांक 1-7-13

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 की उप धारा (1)(2) एवं 9(1) की क्रियान्विति के संबंध में जारी विभागीय आदेश क्रमांक 50975 दिनांक 1.11.2012 में आंशिक संशोधन करते हुए महिला अधिकारिता विभाग के संबंध में निम्नानुसार सार्वजनिक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी मनोनित किये जाते हैं-


क्र.स	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	निदेशालय निदेशक, मअ	अतिरिक्त निदेशक, मअ	उपनिदेशक, मअ	प्रमुख शासन सचिव, मवावि
2	जिला स्तर पर	कार्यक्रम अधिकारी, मअ	-	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
3	संभाग स्तर पर	कार्यक्रम निदेशक, आरआरटीसी	-	अतिरिक्त निदेशक, मअ


(पी.एस.मेहरा)
प्रमुख शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 19(1)()मअ/स्था/2002/ 44887-947
प्रतिलिपि :-

जयपुर, दिनांक 1-7-13

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्यमंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता, राज0 जयपुर।
5. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (आरटीआई प्रकोष्ठ), जयपुर।
6. कार्यक्रम निदेशक, क्षेत्रीय संदर्भ एवं प्रशिक्षण केन्द्र, संभाग स्तरीय कार्यालय।
7. आयुक्तालय, महिला अधिकारिता के समस्त कर्मचारी-अधिकारीगण।
8. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को भेजकर लेख है कि इस वेबसाईट पर अपलोड करे।
9. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता
10. रक्षित पत्रावली।


(डॉ० रेखा गुप्ता)
निदेशक
महिला अधिकारिता